मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

/ /आदेश/ /

भोपाल, दिनांक 1 अप्रेल,2010

क्रमांक एफ 3–74/2008/10–1, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए.के.तिवारी, वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी, कोलारस, शिवपुरी (सा.) वनमण्डल को स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश तक राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8000–275–13500 जिसका तत्स्थानी वेतनमान पै बैण्ड रूपये 15600–39100+5400 ग्रेड पे है, में पदोन्नत करते हुए उन्हें सहायक वन संरक्षक, चंबल अभ्यारण्य, भिण्ड (सा.) वनमण्डल के रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता है।

2– उर्पयुक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम,1961 के अंर्तगत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

3– मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम,2002 के अधीन सुविधा,सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियॉं, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4– प्रमाणित किया जाता है कि "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण (अधिनियम,1994) कमांक 21–सन्1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम,2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।"

4– श्री ए.के.तिवारी की पदोन्नति दिनांक 06.01.2009 से प्रभावशील मानी जावेगी किन्तु इस तिथि से उनके द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व दिवस तक की अवधि का " काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी। इनकी वरिष्ठता श्री व्ही.के.दुबे, सहायक वन संरक्षक के नीचे तथा श्री मुन्नालाल सोनी के ऊपर होगी। (आगामी पदकम सूची में रहेगी)।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0के0कातिया)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 1 अप्रेल,2010

कमांक 3–74/2008/10–1,
प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव,माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, वन।
2– महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

3– सचिव,म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर।
4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल।
6– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.–।/प्रशा.–।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7– मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, वन वृत्त, शिवपुरी/ग्वालियर।
8– वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल शिवपुरी/मुरैना (सामा.) व.मं.।
9– श्री ए.के.तिवारी, वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी, कोलारस, शिवपुरी (सा.) वनमण्डल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

गोपनीय

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रधान मु.व.स. (प्रशा. अराज.) आवक क्र. 274 दिनांक 6.4.2010 भवन, भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन–।।) म.प्र. भोपाल।

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशा–।।/गोपनीय/ 1470 भोपाल,दिनांक :07.04.2010

प्रतिलिपि :–1. मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी
2. मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर
3. वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल शिवपुरी/ मुरैना (सामा.) वनमण्डल
4. श्री ए.के.तिवारी, वन क्षेत्रपाल,परिक्षेत्र अधिकारी, कोलारस, शिवपुरी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा–।।)
म0प्र0 भोपाल

C:\Users\oem\Documents\desktop 12-10-09\desktop 27-08\Letter 20-07-09.doc

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
------000------
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29 मई, 2010

क्रमांक एफ–3–74/2008/10–1: राज्य शासन एतदद्वारा श्री सी.एस.राठौर, वन क्षेत्रपाल, प्रभारी उड़न दस्ता, शिवपुरी (सा.) वन मण्डल को दिनांक 20–08–2008 से स्थानापन्न रूप से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600–39100+5400 ग्रेड पे में पदोन्नत करते हुए उप प्रबंधक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में (प्रतिनियुक्ति पर) पदस्थ करता है।

2– श्री सी.एस.राठौर को दिनांक 20–08–08 से कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व दिवस तक की अवधि का "काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी, परन्तु उनकी वरिष्ठता श्री एच.पी.सिंह के नीचे एवं श्री. के.पी. त्रिपाठी, सहायक वन संरक्षक के उपर (आगामी पदक्रम सूची में) होगी।

3– उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

4– मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियॉं, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5– प्रमाणित किया जाता है " मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।"

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0के0कारिया)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठां. क.एफ–3–74/2008/10–1
भोपाल, दिनांक 29 मई, 2010

प्रतिलिपि:–

1– निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीजी, वन ।
2– महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3– सचिव, म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर।

-2-

4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,मध्यप्रदेश,भोपाल।
5– प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)मध्यप्रदेश,भोपाल।
6– प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ,भोपाल।
7– प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य वन विकास निगम,भोपाल।
8– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.– I / II)मध्यप्रदेश, भोपाल।
9– मुख्य वन संरक्षक,शिवपुरी।
0– वन मण्डलाधिकारी, शिवपुरी (सा.) वन मण्डल।
11– श्री सी.एस.राठौर, वन क्षेत्रपाल, प्रभारी उड़न दस्ता, शिवपुरी (सा.) वन मण्डल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन क्षेत्रपाल कक्ष

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

—00—

सतपुड़ा भवन, भोपाल
4141
6.2010

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
-----000-----
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 18 अगस्त,2010

क्रमांक एफ-3-34/2004/10-1: राज्य शासन एतदद्वारा श्री एस.सी.खरे, वन क्षेत्रपाल, दक्षिण सिवनी (सा.) वन मण्डल को दिनांक 15-05-2007 से स्थानापन्न रूप से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में पदोन्नत करते हुए उप वन मण्डलाधिकारी, किरनापुर (उत्पा.) द0 बालाघाट (उत्पा.) व0मं0 के पद पर पदस्थ करता है।

2- श्री एस.सी.खरे को दिनांक 15-05-2007 से कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व दिवस तक की अवधि का "काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी, परन्तु उनकी वरिष्ठता श्री डी.एस.चौहान के नीचे एवं श्री एस. सी. भदौरिया, सहायक वन संरक्षक के उपर (आगामी पदक्रम सूची में) होगी।

3- उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम-1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

4- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियॉं, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5- प्रमाणित किया जाता है " मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।"

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18-8-10
(कुसुम ठाकुर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठां. क्र.एफ-3-34/2004/10-1
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त,2010

प्रतिलिपिः-

1- निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीजी,वन ।
2- महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर।
3- सचिव,म.प्र.लोक सेवा आयोग,इंदौर।

-2-

आवक
क्र. 653
दि. 20.8.10
भवन, भोपाल

4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,मध्यप्रदेश,भोपाल।
5– प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)मध्यप्रदेश,भोपाल।
6– प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ,भोपाल।
7– प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य वन विकास निगम,भोपाल।
8– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.–I/II)मध्यप्रदेश, भोपाल।
9– मुख्य वन संरक्षक,वन वृत्त, बालाघाट/सिवनी।
10– वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण सिवनी (सा.) वन मण्डल।
11– वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट (उत्पा.) वन मण्डल।
12– श्री एस.सी.खरे, वन क्षेत्रपाल, दक्षिण सिवनी (सा.) वन मण्डल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

---00---

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
------000------
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 18 अगस्त,2010

क्रमांक एफ–3–74/2008/10–1: राज्य शासन एतदद्वारा श्री ए.के.वास्तवा, वन क्षेत्रपाल, कार्य आयोजना वृत्त उज्जैन को दिनांक 20–08–2008 से स्थानापन्न रूप से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600–39100+5400 ग्रेड पे में पदोन्नत करते हुए उप प्रबंधक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में (प्रतिनियुक्ति पर) पदस्थ करता है।

2– श्री ए.के.वास्तवा को दिनांक 20–08–2008 से कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व दिवस तक की अवधि का "काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी, परन्तु उनकी वरिष्ठता श्री जी.आर. घाघरे के नीचे एवं श्री संदीप शुक्ला, सहायक वन संरक्षक के उपर (आगामी पदक्रम सूची में) होगी।

3– उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

4– मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियॉं, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5– प्रमाणित किया जाता है " मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।"

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18
(कुसुम ठाकुर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त,2010

पृ.क्रं. क्र.एफ–3–74/2008/10–1
प्रतिलिपिः–
निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीजी,वन ।
महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर।
सचिव,म.प्र.लोक सेवा आयोग,इंदौर।

–2–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
-----000-----
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 18/8/2010

क्रमांक एफ–3–34/2004/10–1: राज्य शासन एतदद्वारा श्री व्ही.सी.जी. खण्डारे, वन क्षेत्रपाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उज्जैन (सा.) वन मण्डल को दिनांक 03–08–2005 से स्थानापन्न रूप से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600–39100+5400 ग्रेड पे में पदोन्नत करते हुए उप प्रबंधक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में (प्रतिनियुक्ति पर) पदस्थ करता है।

2– श्री व्ही.सी.जी.खण्डारे को दिनांक 03–08–05 से कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व दिवस तक की अवधि का "काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी, परन्तु उनकी वरिष्ठता श्री राकेश कुमार सक्सेना के नीचे एवं श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक वन संरक्षक के उपर (आगामी पदक्रम सूची में) होगी।

3– उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

4– मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियॉ, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5– प्रमाणित किया जाता है " मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।"

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

20.8.10

18-8-10
(कुसुम ठाकुर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठां. क्र.एफ–3–34/2004/10–1
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2010

प्रतिलिपिः–
1– निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीजी, वन ।
2– महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3– सचिव, म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर।

–2–

आवक क्र. 652 दिनांक 20.8.10 भोपाल

4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,मध्यप्रदेश,भोपाल।
5– प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)मध्यप्रदेश,भोपाल।
6– प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ,भोपाल।
7– प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य वन विकास निगम,भोपाल।
8– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.– I / II)मध्यप्रदेश, भोपाल।
9– मुख्य वन संरक्षक,वन वृत्त, उज्जैन।
0– वन मण्डलाधिकारी, उज्जैन (सा.) वन मण्डल।
11– श्री व्ही.सी.जी. खण्डारे, वन क्षेत्रपाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उज्जैन (सा.) वन मण्डल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18-8-10

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

––00––

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त,2010

क्रमांक एफ–3–41/2009/10–1: माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा डब्ल्यू पी क्र. 23479/03–द्वारा डी.डी. पाराशर विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में दिनांक 22.11.06 को पारित आदेश में श्री डी.डी.पाराशर को उनसे कनिष्ठ के दिनांक से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डी.पी.सी. कर योग्य पाये जाने पर अन्य परिणामिक लाभ दिये जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं।

2– उक्त आदेश के पालन में श्री डी.डी.पाराशर (से0नि0) तत्कालीन वन क्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ के दिनांक से पदोन्नति पर विचार करने हेतु दिनांक 28 जुलाई,2010 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26–2–1979 की रिव्यू बैठक आयोजित की गई। दि0 26–2–79 की बैठक में स्थायी वन क्षेत्रपालों की दिनांक 1–1–79 की स्थिति की ज्येष्ठता सूची विचार क्षेत्र में ली गई थी, जिसमें श्री डी.डी. पाराशर का नाम अनु. 518 पर अंकित था एवं उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री एस.एन. शर्मा का नाम अनुक्रमांक 519 पर अंकित था। समिति की अनुशंसानुसार श्री पाराशर पदोन्नति के अयोग्य पाए गए तथा उनके कनिष्ठ अधिकारी योग्य पाए जाने पर शासनादेश दि. 28–7–79 द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किए गए।

3– विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26–2–79 में गत पाँच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन देखे गए थे, तत्समय श्री पाराशर के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 1976, 1977 एवं 1978 में प्रतिकूल टीका अंकित होने के कारण समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं किए जाने के कारण इनकी पदोन्नति नहीं हो सकी है।

उक्त वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिकूल टीकाएँ निम्नानुसार विलोपित की गई :–

1– वर्ष 1976 में दी गई प्रतिकूल टीका मु.व.सं.प्रशा/अराज के आदेश दि. 25–4–94 द्वारा विलोपित की गई।

2– वर्ष 1977 में दी गई प्रतिकूल टीका मु.व.सं.प्रशा/अराज के आदेश दि. 25–4–94 एवं दि.16.5.94 द्वारा विलोपित की गई।

3– वर्ष 1978 में दी गई प्रतिकूल टीका प्र.मु.व.सं. के आदेश दि.7–6–82 द्वारा विलोपित की गई।

4– समिति को यह भी बताया गया कि दि.26–2–1979 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति न होने पर श्री डी.डी.पाराशर द्वारा दिनांक 9–1–1995 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा कण्डिका–3 में उल्लेखित प्रतिकूल टीकाओं के विलोपन का उल्लेख किया गया था। यह अभ्यावेदन शासन के पत्र क्रमांक एफ–2/18/95/10–1 दिनांक 7.8.96 द्वारा अमान्य किया गया है। समिति द्वारा इस अभ्यावेदन से संबंधित नस्ती का अवलोकन किया गया। जिसमें अभ्यावेदन अमान्य करने के पीछे यह तर्क दिया गया था कि श्री पाराशर के गोपनीय

1601
28.8.10

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-1)
म.प्र., भोपाल

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिकूल टीका विलोपित होने के बाबजूद गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित श्रेणी "ग", "घ" एवं " ग" यथावत रही।

5- समिति द्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम,2002 के नियम-6 (5) जिसमें यह उल्लेख है कि "विभागीय पदोन्नति समिति, लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए उनके सेवा अभिलेख के आधार पर एवं उनके पूर्ववर्ती पॉच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी। तथापि, उन मामलों में, जहाँ अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, विभागीय पदोन्नति समिति, अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षो के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी" के प्रकाश में श्री पाराशर के पॉच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन के अलावा और पिछले तीन वर्षो अर्थात् अर्हकारी सेवा 8 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों को देखा गया, किन्तु इनके गोपनीय प्रतिवेदन दि0 26-2-79 की विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाए गए।

6- अतएव समिति द्वारा सम्पूर्ण अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् श्री डी.डी. पाराशर द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा न कर पाने के कारण इन्हें सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। अतएव श्री डी.डी.पाराशर,(से0नि0) तत्कालीन वन क्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठों की पदोन्नति दिनांक से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाने की मांग को अमान्य करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

25.8.10
(कुसुम ठाकुर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक एफ-3-41/2009/10-1 भोपाल, दिनांक 25 अगस्त,2010

प्रतिलिपिः-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.। एवं प्रशा.-।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
3- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4- यचिका क्रमांक 23479/2003 के प्रभारी अधिकारी-द्वारा- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
5- श्री डी.डी.पाराशर-द्वारा- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।) मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25.8.10
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग